# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. प्रभूराम पुत्र पूसाराम बावरी
2. गणपत पुत्र शंकरराम बावरी
   निवासी कुलियाणा

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गोपीराम पुत्र चन्द्राराम मेघवाल
2. भंवराराम पुत्र धूकलराम मेघवाल
3. छोटूराम पुत्र धूकलराम मेघवाल
4. हीराराम पुत्र धूकलराम मेघवाल
5. श्रवणराम पुत्र धूकलराम मेघवाल
6. परमाराम पुत्र धूकलराम मेघवाल
   निवासी कुलियाणा तह. परबतसर
7. तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजेश कुमार भादू अधिवक्ता अप्रार्थी 1

मुकदमां नम्बर :– 88/2013, 100/2013 निर्णय दिनांक :– 24.2.20

## निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री गजराज चौहान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम कुलियाणा के खसरा नम्बर 73 रकबा 20–12 बीघा भूमि जिसमें प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजो का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व से ही शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चल आ रहा हैं। प्रार्थीगण के दादा व पिता पूसाराम पुत्र सूरजमल बावरी के सम्वत 2010 से 2020 तक गिरदावरी में 1/2 हिस्सा दर्ज होता आया है। तथा सम्वत 2018–20 की गिरदावरी में प्रार्थी स्वयं का नाम दर्ज हैं। प्रार्थीगण के अलावा सह खातेदारो का नाम जो प्रभूराम भेराराम हरिराम श्रवणराम पुत्र माधूराम 1/4 हिस्सा तथा प्रभूराम गणपत पुत्र तुलछाराम 1/4 हिस्सा हैं शेष खातेदारो का नाम नुमाईशी दर्ज चला आ रहा हैं जिनका इस भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं जमाबन्दी में दर्ज बालू पुत्र जोरा का नाम धूकल पुत्र अमरा में मर्ज हो चुका हैं क्योंकि बालू पुत्र जोरा के कोई विधिक वारिसान नहीं हैं इसलिऐ धूकल पुत्र अमरा तथा बालू पुत्र जौरा की विधिक स्थिति धूकल पुत्र अमरा के वारिसान अप्रार्थी 1 से 6 के रूप मे मौजूद हैं अप्रार्थी 1 से 6 का रेकर्ड में नुमाईशी नाम दर्ज होने से इस भूमि पर हक जता रहे हैं तथा अप्रार्थी 1 से 6 इस दर्ज नाम के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

भूमि का बेचान करने पर आमादा हैं। जिससे प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 द्वारा एक वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर रखा हैं जो पश्चातवर्ति प्रार्थना पत्र होने से दिनांक 05.01.2015 को इस प्रार्थना पत्र के साथ नथी किया जाकर अप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस प्रार्थना पत्र के जवाब के रूप में स्वीकार किया गया बकाया अप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीन बिन्दुओं को साबित करना आवश्यक जो प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति है।

(अ) प्रथम दृष्टया मामला :–

इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम कुलियाणा के खसरा नम्बर 73 रकबा 20–12 बीघा भूमि में 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजो का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा निरन्तर गिरदावरी दर्ज होती आयी हैं प्रतिवादी 1 से 6 का नाम इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में नुमाईशी दर्ज चला आ रहा हैं जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण भूमि का बैचान करने पर आमाद है। अप्रार्थी 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा हैं जिस पर अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी 1 से 14 बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं जो अप्रार्थी 1 के साथ आये दिन झगड़ा फसाद करने के लिए उतारू हो जाते हैं तथा अप्रार्थी को अपने हक हिस्से व खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने सम्वत 2010 से 2031 तक की गिरदावरी नकल पेश की हैं जिसमें पुसा वल्द सुरजा की सम्वत 2012 व 2013 में काश्त दर्ज हैं सम्वत 2014 से 2017 में भी काश्त दर्ज रिकार्ड हैं तथा सम्वत 2020 में प्रार्थीगण की काश्त दर्ज रिकार्ड हैं जमाबन्दी के अनुसार खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

रिकार्ड हैं। लेकिन गिरदावरी नकल से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजा पुसा वल्द सुरजा का इस विवादित आराजीयत पर सम्वत 2012 से काश्त दर्ज होती आयी हैं। प्रार्थीगण इस भूमि में खातेदारी पाने के अधिकारी हैं अथवा नहीं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना है। अप्रार्थी 1 ने भी बताय हैं कि विवादित आराजीयत में 1/5 हिस्से पर उसका कब्जा कातश हैं तथा अप्रार्थी 1 उक्त भूमि में अन्य खातेदारो के साथ सह खातेदार भी दर्ज रिकार्ड है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 दोनों के पक्ष में प्रतीत होता है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :–

इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर था प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गिरदावरी नकल सम्वत 2010 से 2031 पेश की हैं जिसमें सम्वत 2012 से लगातार प्रार्थीगण के पूर्वज पुसा वल्द सुरजा तथा सम्वत 2020 में प्रार्थीगण स्वंय की काश्त दर्ज हैं प्रार्थीगण का कथन हैं कि वक्त सेटलमेन्ट के समय से इस भूमि के 1/2 हिस्से पर हमारा व हमारे पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। जो गिरदावरी नकल से स्पष्ट प्रतीत होता हैं अप्रार्थी 1 ने भी अपने प्रार्थना पत्र में बताया हैं कि वह इस भूमि में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं तथा मौके पर कब्जा कातश हैं जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थी 1 इस भूमि में खातेदार दर्ज हैं। जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 दोनों के पक्ष में प्रतीत होती है।

(स) अपूर्णीय क्षति :–

यह बिन्दु भी प्रार्थीगण को सिद्ध करना था इस सम्बन्ध में 17 ग्राम के व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये हैं जिन्होनें अपने शपथ पत्र में प्रार्थीगण इस भूमि पर शुरू से ही कब्जा काश्त होना बताया हैं तथा प्रार्थीगण ने दस्तावेज साक्ष्य में गिरदावरी नकल सम्वत 2010 से 2031 पेश की हैं जिसमें भी प्रार्थीगण की काश्त दर्ज होती आयी हैं प्रार्थीगण इस भूमि में खातेदारी पाने अधिकारी हैं अथवा नहीं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना हैं लेकिन प्रार्थीगण जो कथन प्रार्थना पत्र में पेश किया हैं कि वह इस भूमि में वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही काबिज काश्त हैं यह गिरदावरी नकल एवं ग्राम के 17 व्यक्तियों के प्रस्तुत शपथ पत्रों से सही होना प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता हैं तो

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना हैं। जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 दोनों के पक्ष में प्रतीत होता हैं जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को काउन्टर क्लेम के रूप में स्वीकार किया जाकर वाद के निर्णय तक उभय पक्षकारो दोनों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं ताकि पक्षकारों इस भूमि को लेकन ओर कोई विवाद नहीं हो एवं मुकदमें बाजी नहीं बढे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारो को वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम कुलियाणा के खसरा नम्बर 73 रकबा 20–12 बीघा भूमि का बैचान हस्तान्तरण नहीं करे मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। यह आदेश आज दिनांक 24.2.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मांड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर



Scanned by CamScanner